

3/1/25

पत्रावली जेबा हुई। वादी आदी. उपा। वादी
आधीवला को न्यायादाल में उरीवादीगण की
तलनी हेतु यौरीम अवला दिना पास है।
पत्रावली दिनांक 3/1/25 को चेख है।

3/1/25

8/1/25

पत्रावली जेबा हुई। वादी एवं वादी आधीवला
अनुपस्थित। वादी एवं वादी आधीवला को
निपत्रानुसार तीन बार आवजे लगाई गई,
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5-50 PM
को हुआ है। वादी एवं वादी आधीवला को न्यायादाल
में पुनः एक बार आवज लगाई गई परन्तु
कोई उपस्थित नहीं आया। अतः वादी एवं वादी
आधीवला के उपस्थित नहीं आने के कारण
वादी गण उच्चतम वाद अदम हावरी। अदम
पैली में वादी स्थित पास है। निर्दिष्ट से
इतनास मुकामा अपन रिडी पत्रा वादी है।

पत्रावली मौसल शुभा बाबर
वादील दफ्तर हो तथा नम्बर से कम है।

8/1/25

सहायक कलक्टर
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. गोपी लाल पिता कैलाश चन्द्र शर्मा उम्र वयस्क निवासी तिलोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गिरवर सिंह पिता छीतर सिंह राजपूत मृतक के बजाय
1/1 इन्द्र कंवर पत्नी स्व0 गिरवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी आंबाखेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
1/2 चतर सिंह पिता स्व0 गिरवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी आंबाखेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
1/3 किशन सिंह पिता स्व0 गिरवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी आंबाखेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
1/4 चैन सिंह पिता स्व0 गिरवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी आंबाखेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 20/2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 08.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


8/1/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा